राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(14)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 22/06/21

::आदेश::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.07.2020 द्वारा राजकीय वादकरण नीति–2018 के अध्याय–6 के अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ जयपुर, अन्य अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों में इस विभाग के विरूद्ध लम्बित/विचाराधीन एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त न्यायिक प्रकरणों की सुचारू रूप से मोनेटरिंग करने हेतु श्रीमती अनुपमा राजीव बिजलानी, तत्कालीन विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी को सम्पूर्ण विधि विभाग के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया था। श्रीमती अनुपमा राजीव बिजलानी का स्थानान्तरण/पदस्थापन शासन सचिव, विधि विभाग के पद पर हो चुका है तथा इनके स्थान पर श्री तनवीर चौधरी, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदस्थापित है।

अतः श्रीमती अनुपमा राजीव बिजलानी, तत्कालीन विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी के स्थान पर विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी (पदनाम से) को उपरोक्त न्यायालयों/अधिकरणों में लम्बित/विचाराधीन एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त न्यायिक प्रकरणों की सुचारू रूप से मोनेटरिंग करने हेतु विधि विभाग के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, महाधिवक्ता राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, विधि विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी।
4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
5. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
7. समस्त गवर्नमेंट कौंसिलगण/राजकीय अधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त पैनल लॉयर, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
10. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

22/6/21

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि